न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:— **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 89 / 2022

वादी :— गोरखराम पुत्र नारायणराम जाति राईका(देवासी) निवासी ग्राम हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. पुखाराम पुत्र नारायणराम
2. सुजाराम पुत्र नारायणराम जाति राईका (देवासी) निवासी ग्राम हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति:—वादी की ओर से श्री गिरधारीलाल कंसारा एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 3— सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांक:—** 11/11/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाड़ा पटवार क्षेत्र हरियाड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मालकोसनी तहसील बिलाड़ा जिला जिला जोधपुर की सरहद में वादी के खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं. 199 खसरा नंबर 440 / 16 रकबा 2.4270 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ, कुल खसरा 01 का कुल रकबा 2.4270 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की हिस्से की संयुक्त खातेदारी की स्थित है। उक्त खसरान की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 का प्रत्येक का 1 / 3 – 1 / 3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। वादी को घर मे लाड प्यार से, तथा उनके माता पिता व बुर्जुगों द्वारा गोरखराम व गोकलराम दोनों नामों से पुकारते है और वादी का सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिलाड़ा के बैंक डायरी की फोटोप्रति, दी जोधपुर सैण्ट्रल को– आपरेटिव बैंक लि. शाखा बिलाड़ा की डायरी में वादी का नाम गोरखराम लिखा हुआ है। जबकि उपरोक्त खसरा नंबर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में हल्का पटवारी द्वारा कम्प्यूटर त्रुटिवश सही नाम गोरखराम के स्थान पर लाड़ प्यार का नाम गोकलराम गलत दर्ज कर दिया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है, जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजो के अनुसार उसका वास्तविक नाम गोरखराम है तथा वादी को गोरखराम व गोकलराम दोनो नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार गोरखराम व गोक लराम दोनो नामों का एक ही व्यक्ति है। वादी अभी आठ माह पूर्व अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैंक के समक्ष गया और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर के.सी.सी ऋण देने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिलाड़ा के बैंक डायरी की फोटोप्रति, दी जोधपुर सैण्ट्रल को– आपरेटिव बैंक लि. शाखा बिलाड़ा की डायरी आदि दस्तावेज बैंक मैनेजर साहब के समक्ष पेश किये, जिस पर बैंक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम गोरखराम लिखा हुआ है और जमाबंदी में गोकलराम लिखा हुआ है जिस पर बैंक मैनेजर ने के.सी.सी. ऋण देने व सरकारी कृषि लाभ देने से मना कर दिया और वादी को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में शुद्धि आदि करवायी जावें,

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

इस कारण वादी को अपने संयुक्त खातेदारी की उपरोक्त खसरान के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम गोकलराम के स्थान पर गोरखराम के नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरस्ती करवाने हेतु यह दावा पेश करना पड़ रहा है। वादी गोरखराम व गोकलराम नाम का एक ही पुरूष है। विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भूमि खाता संख्या 199 के खसरा नंबर 440/16 रकबा 2.4270 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी के अपने 1/3 हिस्से की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी न्यायालय मे कही कोई आपत्ति एतराज या अपील रिविजन आदि पेश नहीं की है। अन्य संयुक्त खातेदारान का कोई हक व हिस्सा प्रभावित नहीं होता है। इस कारण वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। वादी गोरखराम का नाम राजस्व रेकर्ड मे गोकलराम नाम लिख देने से वादी न तो अपनी भूमि पर के.सी.सी. ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बेचान कर सकता है। वादी को लाड प्यार से, तथा उनके माता पिता व बुर्जुर्गों द्वारा गोरखराम व गोकलराम दोनों नाम से पुकारते है, इस कारण वादी के उपरोक्त खसरें की भूमि के राजस्व रेकर्ड भूलवश तथा बिना कानून की जानकारी के अज्ञानतावश गोकलराम नाम दर्ज करवा दिया, जबकि वादी के सरकारी दस्तावेज में वादी का नाम गोरखराम का नाम दर्ज है, अतः वादी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में गलत अंकित करना एक मानवीय भूल तथा कानून की अज्ञानतावश से रह गयी, जिसे घोषणा के जरिए दुरस्त किया जाना आवश्यक है। यह है कि वाद कारण दिनांक 15/02/2022 को जब वादी अपने खातेदारी की उपरोक्त खसरक की भूमि पर केसीसी ऋण लेने हेतु बिलाड़ा के बैंक में गया तब वादी को जानकारी हुई कि वादी के नाम उपरोक्त खसरे की संयुक्त खातेदारी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम गोकलराम दर्ज है जिस पर बैंक अधिकारी द्वारा वादी को कहा कि उपरोक्त खसरे की भूमि के राजस्व रेकर्ड के जमाबंदी में वादी का नाम गोकलराम के स्थान पर गोरखराम नाम शुद्धि करवाना होगा उसके बिना वादी को अपने संयुक्तखातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की सरकारी सुविधा व त्रऋण का लाभ नही दिया जायेगा, इसलिए वादी को वाद कारण बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा में उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है।

अतः दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में स्थित विवादग्रस्त भूमि खाता सं. 199 के खसरा नंबर 440/16 रकबा 2.4270 हैक्टयर कृषि भूमि में वादी का नाम गोकलराम के स्थान पर गोरखराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित किये जाने का आदेश फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बार–बार आवाज दिलवाई गई एवं उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध दिनांक 12.02.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 3 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाडा के खसरा नंबर 440/16 रकबा 2.4270 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ वर्तमान जमाबंदी चौसाला के खाता सं. 199 पर दर्ज है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा है। वादी का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड में ग्राम हरियाडा के नामा.सं. 468, 522 के जरिये गोरख पुत्र नारायण दर्ज हुआ। बाद के जमाबंदी चौसालों में गोरख के

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

स्थान पर गोकल दर्ज हो गया, जो आज दिन तक चला आ रहा है। वादी द्वारा सरकारी/निजी दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड, पैनकार्ड इत्यादि प्रस्तुत कर अपना नाम गोरखराम होना बताया। वादी की ईस्तदुआ है कि स्वयं का नाम गोकलराम पुत्र नारायणराम के स्थान पर गोरखराम पुत्र नारायणराम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज किया जावें।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम हरियाडा की सीमा में स्थित खसरा नंबर 440/16 रकबा 2.4270 में गोकलराम पुत्र नारायणराम 1/3 के स्थान पर गोरखराम पुत्र नारायणराम 1/3 की खातेदारी घोषणा किये जाने में भूमिधारी की सहमति है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश नहीं किया जिससे वादी साक्ष्य बंद की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 परिवार राशन कार्ड गोरखराम पुत्र नारायणराम, प्रदर्श 2 आधार कार्ड गोरखराम पुत्र नारायणराम, प्रदर्श 3 पैनकार्ड गोरखराम पुत्र नारायणराम, प्रदर्श 4 दी जोधपुर सैण्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. की डायरी की प्रतिलिपि गोरखराम पुत्र नारायणराम आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी नाम गोरखराम पुत्र नारायणराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम गोकलराम पुत्र नारायणराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम गोरखराम पुत्र नारायणराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने नाम शुद्धि करने में अपनी सहमति प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा सं. 440/16 रकबा 2.4270 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गोकलराम पुत्र नारायणराम 1/3 हिस्सा के स्थान पर गोरखराम पुत्र नारायणराम 1/3 हिस्सा की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 11/11/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

गोरखराम पुखाराम

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 89/2022

निर्णय दिनांक :– 11/11/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गिरधारी लाल कंसारा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा सं. 440/16 रकबा 2.4270 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गोकलराम पुत्र नारायणराम 1/3 हिस्सा के स्थान पर गोरखराम पुत्र नारायणराम 1/3 हिस्सा की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकददमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें।
बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा